



पत्र सं०-

013

/ एस0ई0(एच0क्यू0) / 260

दिनांक 20.2.2018

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय वृत्त, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर मा0 अध्यक्ष (म0) के अनुमोदन दिनांक 19.02.2018 के कम में निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क0सं0 परियोजना आई0डी0नं0	योजना/परियोजना का नाम	परियो0 की लागत (रु0 लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं0
1-	095181 अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-7ए में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत प्रस्तावित 992 नग जी+3 प्रकार के भवनों का निर्माण कार्य।	4682.24	715/01(17-18)

- उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव का मा0 अध्यक्ष (म0) द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है कि प्रश्नगत कार्य हेतु आगामी बोर्ड बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। तदनुसार उक्त कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति आगामी बोर्ड बैठक में अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- प्रशा0स्वी0से लेकर कार्य पूर्ण होने की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई.डी.नं0 के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। निविदा आदि की कार्यवही के उपरान्त प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत परिषदादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- परियोजनाअन्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता की निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधि0अभि0/अधी0अभि0का होगा।
- परियोजनाअन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य प्रशा0 एवं वित्तीय स्वी0 से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- खण्ड द्वारा लेबर सेस/जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
- परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- कार्य की लागत में आगे कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी, तथा कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।
- उक्त कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 22 माह में अवश्य पूर्ण करा लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना का सम्बन्धित खण्ड द्वारा रेरा (UPRERA) में पंजीकरण अवश्य करा लिया जाये।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात कार्य की निविदाएं इस प्रतिबन्ध के साथ आमंत्रित की जायेगी कि पंजीकरण के उपरान्त पात्र लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर निविदाएं स्वीकृत की जाये एवं तदनुसार ही भवनों का निर्माण कराया जाये।

(एस0क0रायतामी)

अधीक्षण अभियन्ता (प्र0)

दिनांक 20.2.2018

पृ0सं0:

013 / उक्त / 260

दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सचिव, आवास आयुक्त/अ0आ0आ0 एवं सचिव/मुख्य अभि., उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
- वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)/मुख्यालय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- अधिशासी अभियन्ता(मु0)/निर्माण खण्ड-15, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- गार्ड फाइल हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (प्र0)

दिनांक